15-02-2024

भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय बैठक

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात की। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री की यह कतर की दूसरी यात्रा है। इसके पहले वो 2016 में दोहा पहुंचे थे।
- इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर विचार-विमर्श किया।
- उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल की क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा करते हुए पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।
- भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है जिसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) खरीदेगा।ध्यान रहे, कतर, भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है। भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयात में कतर की हिस्सेदारी 41% है।
- भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (PLL) ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा।

भारत-कतर संबंध

- दोनों देशों के बीच इस वक्त करीब 20 अरब डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
- भारत को क़तर के लिये चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत का निर्यात 16.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 1995 के 29.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत द्वारा कतर को निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद चावल, आभूषण और सोना हैं।
- वहीं पिछले कतर द्वारा किया गया निर्यात 19% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो वर्ष 1995 के 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कतर द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद पेट्रोलियम गैस, क्रूड पेट्रोलियम और हलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन हैं।
- भारत और कतर के व्यापार मंडलों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की गई है जो निवेश पर एक संयुक्त कार्यबल के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देता है|
- वर्ष 2022 में "भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज" का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है।
- दोनों देश बहुपक्षीय मंचों जैसे अंतर-संसदीय संघ (IPU), एशियाई संसदीय सभा और अन्य मंचो पर एक-दूसरे को सहयोग करते हैं|

NEW OPTIONAL FOUNDATION COURSE FOR ENGLISH & HINDI MEDIUM STARTING FROM 16TH FEBRUARY, 2024

- कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब तक प्रशिक्षण, एक-दूसरे के सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेना और भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाज़ों द्वारा यात्रा तक सीमित रहा है| ज़ाएर-अल-बहर (Zair-Al-Bahr) भारतीय और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
- दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान हेतु भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (Indian Cultural Centre- ICC) स्थापित किया गया है | यह केंद्र भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। ध्यान रहे, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास, दोहा, और निजी प्रायोजकों के तत्त्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय है।
- भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है | कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं और वो यहां के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इन भारतीयों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः 750 मिलियन डॉलर की राशि भेजी जाती है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित किया है। इसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी आदि जैसी भर्ती परीक्षाओं और एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में लीक, कदाचार के साथ-साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना है।

विधेयक का प्रमुख प्रावधान:

- विधेयक का उद्देश्य संगठित गिरोहों और संस्थानों को रोकना है जो मौद्रिक लाभ के लिए अनुचित तरीकों में शामिल हैं, लेकिन यह उम्मीदवारों को इसके प्रावधानों से बचाता है।
- विधेयक संगठित अपराधों के लिए उच्च सज़ा निर्दिष्ट करता है। एक संगठित अपराध को सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में गलत लाभ के लिए साझा हित को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए गैरकानूनी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इस विधेयक में लोक परीक्षा को परिभाषित किया गया है | धारा 2(k) के तहत, लोक परीक्षा को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध "लोक परीक्षा प्राधिकरण" या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है और धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
- यदि दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सज़ा दी जाएगी।
- विधेयक की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय, गैर-ज़मानती और गैर-शमनयोग्य होंगे।
- इन नामित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों के अलावा "केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग और कर्मचारियों की भर्ती के लिये उनसे जुड़े तथा अधीनस्थ कार्यालय" भी नए कानून के दायरे में आएँगे।
- परीक्षाओं के संचालन के लिये सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है और यदि सेवा प्रदाता अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।
- यह विधेयक राज्यों द्वारा अपने विवेकाधिकार से इसके अंगीकरण हेतु एक मॉडल मसौदे के रूप में भी कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य आपराधिक तत्त्वों को उनकी राज्य-स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं को बाधित करने से रोकने में राज्यों की सहायता करना है।
- सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, IT तथा भौतिक बुनियादी ढाँचे दोनों के संबंध में राष्ट्रीय सेवा एवं मानक स्तर तैयार करेगी तथा दक्षता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के

NEW OPTIONAL FOUNDATION COURSE FOR ENGLISH & HINDI MEDIUM STARTING FROM 16TH FEBRUARY, 2024

लिये परीक्षाओं के संचालन हेतु इन मानकों का कार्यान्वन किया जाएगा।

विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- हाल के वर्षों में देशभर की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं। पिछले पाँच वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम-से-कम 48 घटनाएँ हुईं हैं, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है। इससे लगभग 1.2 लाख पदों के लिये होने वाली भर्ती से कम-से-कम 1.51 करोड़ आवेदकों का जीवन प्रभावित हुआ है।
- सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण देरी होती है और परीक्षाएँ रद्द हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- वर्तमान में अपनाए गए अनुचित तरीकों अथवा किये गए अपराधों से निपटने के लिये कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है।
- व्यापक केंद्रीय कानून के माध्यम से परीक्षा प्रणाली के भीतर कमज़ोरियों का लाभ उठाने वाले तत्त्वों की पहचान करना और प्रभावी ढंग से उनका समाधान करना भी महत्त्वपूर्ण है।

विधेयक से संबंधित चिंताएँ

- विधेयक में राज्यों द्वारा अपने विवेकाधिकार से इस मॉडल को अंगीकरण करने का प्रावधान किया गया है, किंतु राज्य सरकारों को दिए गए विवेकाधिकार से विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन में भिन्नता हो सकती है।
- इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने में कानून की प्रभावशीलता संभावित रूप से कमज़ोर हो सकती है।
- हालाँकि विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है किंतु इसकी संरचना, योग्यता तथा अधिदेश के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।
- विधेयक को अपराधों की संज्ञेयता, गैर-ज़मानतीता तथा गैर - शमन क्षमता संबंधी प्रावधानों से संबंधित विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (एसएएफएफ) की अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप का आयोजन ढाका में किया गया|
- 8 फरवरी 2024 को ढाका में खेले गए फाइनल में इस चैम्पियनशिप का विजेता भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से घोषित किया गया।
- दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (एसएएफएफ) दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ है जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की एक क्षेत्रीय सहायक कंपनी है|
- SAFF की स्थापना 1997 में किया गया था। इस संघ के 7 सदस्य हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुजरात के मोरबी में स्वामी दयानंद के जन्मस्थान टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।
- उन्होंने भारत को अज्ञानता और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त कराने, वैदिक ज्ञान के सार को फिर से खोजने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने में स्वामी जी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में

- दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 को टंकारा, गुजरात में मूल शंकर के रूप में करशनजी लालजी तिवारी और यशोदाबाई के

NEW OPTIONAL FOUNDATION COURSE FOR ENGLISH & HINDI MEDIUM STARTING FROM 16TH FEBRUARY, 2024

घर हुआ था। परिवार अत्यधिक धार्मिक होने के कारण, मूल शंकर को बहुत कम उम्र से ही धार्मिक अनुष्ठान, धर्मपरायणता और पवित्रता, उपवास का महत्व सिखाया गया था।

- महर्षि दयानंद हिंदू धर्म में आस्तिक थे, उन्होंने धर्म की अवधारणाओं की पुरजोर वकालत की, जिसे वे किसी भी पक्षपात से मुक्त और सत्यता का प्रतीक मानते थे।
- उन्होंने मूर्ति पूजा की प्रथा को रद्द कर दिया और उन्हें अपने लाभ के लिए पुरोहितवाद द्वारा शुरू की गई गंदगी माना। वह अंधविश्वास और जाति अलगाव जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे।
- उन्होंने स्वराज्य की अवधारणा की वकालत की, जिसका अर्थ है विदेशी प्रभाव से मुक्त, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रतिभागियों की महिमा से भरपूर देश।
- 7 अप्रैल, 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसका अर्थ था "रईसों का समाज"। समाज का उद्देश्य हिन्दू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर करना था। 'कृण्वं से विश्वं आर्यम्' समाज का आदर्श वाक्य था, जिसका अर्थ है, "इस दुनिया को महान बनाओ"।
- आर्य समाज अपने सदस्यों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि, मंदिरों में चढ़ावा, पुरोहिताई को प्रायोजित करने आदि जैसी कर्मकांडीय प्रथाओं की निंदा करने का निर्देश देता है। समाज ने अनुयायियों को मौजूदा मान्यताओं और रीति-रिवाजों पर आंख मूंदकर उनका पालन करने के बजाय उन पर सवाल उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
- आर्य समाज ने 1880 के दशक में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। महर्षि दयानंद ने बालिका शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि एक शिक्षित व्यक्ति को समाज के समग्र लाभ के लिए शिक्षित पत्नी की आवश्यकता होती है।
- शुद्धि आंदोलन महर्षि दयानंद द्वारा उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था जो या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। शुद्धि या शुद्धिकरण उन लोगों को प्रदान किया गया जो हिंदू धर्म में वापस आने का रास्ता तलाश रहे थे और समाज ने समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवेश करने और दलित वर्गों को हिंदू धर्म में वापस लाने में उत्कृष्ट काम किया।
- उन्होंने अपने अनुयायियों को वेदों का ज्ञान सिखाने और ज्ञान को और अधिक फैलाने के लिए कई गुरुकुल स्थापित किए। उनके विश्वासों, शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित होकर, उनके शिष्यों ने 1883 में उनकी मृत्यु के बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। पहला डीएवी हाई स्कूल 1 जून 1886 को लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके हेडमास्टर लाला हंस राज थे।
- वह एक सार्वभौमिक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे और अमेरिकी अध्यात्मवादी एंड्रयू जैक्सन डेविस ने महर्षि दयानंद को "ईश्वर का पुत्र" कहा, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं पर गहरा प्रभाव डाला था और राष्ट्र की स्थिति को बहाल करने के लिए उनकी सराहना की।